न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
किस्म मुकदमा : अपील सं0 264/2014 एल.आर.एक्ट धारा–76
अनवान भींयाराम बनाम नन्दकौर आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
31.12.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक श्री चतुर्भुज सारस्वत अनुपस्थित । यह प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र काकासिंह बाबत दुरुस्ति में पारित किये गये निर्णय दिनांक 8.7.2003 जिसके द्वारा प्रार्थी काकासिंह पुत्र श्यामसिंह झींवर साकिन गोलूवाला के आवंटन आदेश दिनांक 28.2.84 में प0नं0 126/36 के स्थान पर 128/36 दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये गये, के विरुध्द अपीलार्थी भींयाराम द्वारा दिनांक 5.3.08 से प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । उक्त अपील में अपीलान्ट की ओर से उपस्थित अभिभाषक श्री चतुर्भुज सारस्वत को रेस्पोन्डेंट सं01 ता 5 के निमित दिनांक 18.4.12 से सम्मन प्रस्तुत किये जाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त एवं इस न्यायालय में दिनांक 17.11.14 को हस्तान्तरित को प्राप्त होने के पश्चात बार–बार पाबन्द किया गया तथा दिनांक 20.4.16 को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया । किन्तु अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा इसके बावजूद भी आदिनांक रेस्पोन्डेंट सं01ता 5 के निमित सम्मन पेश नहीं किये गये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को यह अपील चलाने में कोई रुचि नहीं है । जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय, सूरतगढ द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.7.2003 के अनुसार रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के स्वर्गीय पति/पिता काकासिंह के नाम से चक110 आरडीएल सम्वत 2058 ता 61 पत्थर नं0 128/36 की भूमि, आवंटन व कब्जा अनुसार दर्ज है, जिसे उपखण्ड न्यायालय द्वारा टीआरए सेल रजिस्टर व आवंटन आदेश में दुरुस्ति की गयी है, जो उचित है । अतः यह अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी, अदम तकमील एवम् गुणावगुण पर भी चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । सम्भागीय आयुक्त बीकानेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.14 13:52:43 IST
Reason: SelfAttested